जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 15.07.2022

थाना कैराना

गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्यवाही के निरंतर दबाव में थाना कैराना पुलिस के समक्ष गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पणः-

आज दिनांक 15.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना क्षेत्र के 01 गैंगस्टर द्वारा गिरफ्तारी के बढ़ते दबाव के चलते थाना कैराना पर आत्मसमर्पण किया गया है , जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर चोरी, धोखाधडी आदि के पूर्व में अभियोग पंजीकृत है , जिन पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी।

नाम व पता अभियुक्तः-

1- आरिफ पुत्र किताबू निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. मु0अ0स0 35/18 धारा 379,420,427,468,467,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 606/17 धारा 147,148,149,307,336,353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 607/17 धारा 147,148,149,323,504,506,452,307,427 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गौकशी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

आज दिनांक 15.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गौकशी में वांछित 01 गौकश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 05 साथी पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.03.2022 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सोमपाल सिंह निवासी ग्राम नया गांव थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसके खेत में गोवंश (सांड) के काटे जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- दानिश पुत्र जमील निवासी ग्राम टपरानाथाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली

03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध चाकू बरामद ।

आज दिनांक 15.07.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. मोनू उर्फ दिनेश पुत्र वीरेंद्र 2. अरमान पुत्र आस मौहम्मद निवासीगण बदरपुर बॉर्डर पुल पहलादपुर थाना पहलादपुर दिल्ली 3. फराज आलम पुत्र स्वर्गीय खुर्शीद निवासी गुलशन नगर टायर मार्केट थाना कोतवाली जनपद शामली को अवैध 03 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।